न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट सं0–6, उन्नाव।

उपस्थित– एहसानुल्लाह खान (जे0ओ0 नं0– 6024)

एच.जे.एस.

सिविल पुनरीक्षण सं0– 02/2018

सी.एन.आर. नं0– यू पी यू एन 0100056/2018

राम मोहन बालिग पुत्र बच्चन लाल शुक्ला निवासी ग्राम ऊगू परगना तहसील सफीपुर जिला उन्नाव हाल निवासी गजानन सोसायटी फ्लैट नं0 18 पंचवटी कारजा पंचवटी नासिक–3

.....पुनरीक्षणकर्तागण/आवेदक

बनाम

1. राम स्वरूप (मृतक दौरान मुकदमा)
2. सुनील कुमार उम्र 45 वर्ष पुत्र स्व0 राम स्वरूप
3. सुशील कुमार उम्र 41 साल पुत्र स्व0 राम स्वरूप
4. रामेन्द्र कुमार उम्र 36 साल पुत्र स्व0 राम स्वरूप
5. श्रीमती राजकली उम्र 75 साल पत्नी स्व0 राम स्वरूप

   निवासीगण मोहल्ला मांझखोर कस्बा ऊगू, परगना व तहसील सफीपुर जिला उन्नाव।
6. मथुरा प्रसाद उम्र 70 साल पुत्र सूरत सिंह
7. बीरेन्द्र सिंह (मृतक दौरान मुकदमा)
8. श्रीमती कुन्ती देवी उम्र 63 साल पत्नी वीरेन्द्र सिंह
9. नीतेश कुमार उम्र 29 साल पुत्र बीरेन्द्र सिंह
10. वैभव उम्र 23 साल पुत्र वीरेन्द्र सिंह

    साकिनान मोहल्ला मांझखोर ऊगू, परगना व तहसील सफीपुर जिला उन्नाव।
11. अशोक कुमार उम्र 56 साल
12. राजेन्द्र सिंह उम्र 52 साल

    निवासी मांझखोर कस्बा ऊगू परगना तहसील सफीपुर जिला उन्नाव।

.....विपक्षीगण/वादीगण

13. श्रीमती शान्ती उम्र लगभग 70 साल पत्नी फकीरे
14. अशोक कुमार उम्र लगभग 50 साल पुत्र फकीरे

    निवासीगण मो0 खेटू कस्बा ऊगू परगना व तहसील सफीपुर जिला उन्नाव।

.....विपक्षीगण/प्रतिवादीगण

सिविल पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा
<u>115 व्यवहार प्रकिया संहिता</u>

<u>निर्णय</u>

यह सिविल पुनरीक्षण मूल वाद संख्या 606/2008 राम स्वरूप बनाम शान्ती आदि में विद्वान अवर न्यायालय सिविल जज (सी0डि0)/एफ0टी0सी0 उन्नाव के द्वारा प्रार्थना पत्र 54क आदेश 1 नियम 10 व्य0प्र0सं0 पर पारित आदेश दिनांकित 06.01.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। विद्वान अवर न्यायालय के द्वारा प्रश्नगत आदेश से आवेदक का प्रार्थनाा पत्र 54क निरस्त कर दिया गया है।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि मूल वाद वादीगण के द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रतिवादीगण

के विरूद्ध संस्थित किया गया है। मूल वाद में वादीगण ने मुख्य रूप से यह कथन किया है कि उनके द्वारा श्रीमती रामदेवी उर्फ रामादेवी से विक्रय विलेख दिनांकित 07.07.2008 से भूमि नंबर 3015 रकबा 0.057, 3017 रकबा 1.220 में 3/4 भाग तथा भूमि नंबर 3016क रकबा 0.367 व भूमि नंबर 3022 रकबा 0.017 में 1/2 भाग क्रय किया गया है। वादीगण ने इस भूमि को वाद पत्र के नक्शा नजरी में अक्षर क,ख,ग,ध,ज,झ,क से दर्शित किया है तथा स्वंय को इस भूमि पर कब्जा दखल में बताया है। वादीगण ने वाद पत्र में यह अंकित किया है कि प्रतिवादी सं0 1 व उसका पुत्र प्रतिवादी सं0 2 सह भूमिधर दिवाकर उर्फ पम्मी व शरद से उनके हिस्से से अधिक भूमि का फर्जी बैनामा कराकर वादीगण के हिस्से में हस्ताक्षेप कर रहे है और वादीगण को विवादित स्थल पर स्थित बांसकोठी में लगे बांस को काटने पर व्यवधान उत्पन्न कर रहे है।

मूल वाद में प्रतिवादी सं0 1 व 2 की तरफ से प्रतिवाद पत्र 29क दिनांकित 12.11.2008 प्रस्तुत किया गया है।

पत्रावली में अभी विवाद्यक विरचित नही किया गया है।

पुनरीक्षकर्ता/आवेदक के द्वारा मूल वाद में आदेश 1 नियम 10 व्य0प्र0सं0 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र 54क दिनांक 24.10.2009 इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि वादीगण के द्वारा मूल वाद बैनामा दिनांकित 07.07.2008 के आधार पर प्रस्तुत किया गया है तथा राम मोहन के द्वारा श्रीमती रामदेवी उर्फ रामादेवी के हक में अपंजीकृत वसीयतनामा निष्पादित करना बताया गया है। आवेदक राम मोहन जीवित व्यक्ति है और एक जीवित व्यक्ति के नाम फरेब करके वसीयतनामा के आधार पर दाखिल खारिज कराया गया है। आवेदक के पिता का नाम भी वाद पत्र में गलत दिखाया गया है। वादीगण ने साजिश करके अपंजीकृत वसीयतनामा के आधार पर आवेदक के जीवित रहते वाद प्रस्तुत किया गया है तथा वाद में आवेदक को पक्षकार नही बनाया गया है। वाद आवेदक की संक्रमणीय भूमिधरी के सम्बन्ध में है इसलिये आवेदक का पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। आवेदक अपने रोजगार के सिलसिले में नासिक में रहता है।

आवेदक के द्वारा सूची 81ग से अभिलेखीय प्रपत्र प्रस्तुत किये गये है।

मूल वाद के वादीगण के तरफ से आपत्ति 63ग प्रस्तुत करके वाद पत्र के कथनो का समर्थन किया और यह कथन किया कि यदि आवेदक को राजस्व अभिलेखो के इन्द्राज के सम्बन्ध में कोई आपत्ति है तो उसे इस आपत्ति को राजस्व न्यायालय में करना चाहिये। आवेदक फर्जी राम मोहन बनकर वाद में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाये।

उपर्युक्त कथनो एवं साक्ष्यो के आधार पर विद्वान अवर न्यायालय के द्वारा उभय पक्षो को सुनकर प्रार्थना पत्र 54क का निस्तारण गुण दोष पर करते हुये उसे दिनांक 06.01.2018 को निरस्त कर दिया गया।

उक्त आदेश से छुब्ध होकर आवेदक राम मोहन के द्वारा यह पुनरीक्षण इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि वादीगण ने जीवित व्यक्ति की भूमि को मृतक दिखलाकर अपंजीकृत वसीयतनामा के आधार पर सांजिश करके श्रीमती रामादेवी से विक्रय विलेख लिखवा लिया है। श्रीमती रामादेवी के पक्ष में पारित दाखिल खारिज का आदेश दिनांकित 27.06.1994 को न्यायालय अपर आयुक्त प्रशासन लखनऊ के द्वारा दिनांक 10.10.2014 को निरस्त कर दिया गया है। जिसके कारण मूल वाद की विवादित भूमि आवेदक के नाम हो गयी है। विद्वान अवर न्यायालय के द्वारा विधान एवं नियमो के विपरीत आलोच्य आदेश पारित किया गया है। विद्वान अवर न्यायालय का आदेश क्षेत्राधिकार के दुरूपयोग में पारित किया गया है। महाराष्ट्र में व्यक्ति के नाम के साथ उसके पिता का नाम जोड़ा जाता है इसलिये नासिक में आवेदक को राम मोहन बच्चन लाल बोला जाता है। आवेदक के

पिता बच्चन लाल अपने पिता के जीवन काल में मृतक हो गये थे इसलिये बाजी लाल के मरने पर दाखिल खारिज राम मोहन बच्चन लाल के नाम से किया गया। जिसका लाभ उठाकर विपक्षीगण ने राम मोहन बच्चन लाल के मध्य अक्षर ''व'' लिखवा दिया गया। आवेदक विवादित भूमि का मालिक व स्वामी है इसलिये वह वाद में आवश्कय पक्षकार है।

अवर न्यायालय के द्वारा प्रार्थना पत्र 54क पर दिनांक 06.01.2018 को आदेश पारित करते हुये उसे खारिज कर दिया गया है।

निगरानीकर्ता की तरफ से विद्वान अधिवक्ता श्री राम सजीवन सिंह ने तर्क प्रस्तुत करके हुये निम्नलिखित सम्मानित विधि व्यवस्थाओ पर विश्वास प्रकट किया–

1. पण्डित कृष्ण कान्त पुजारी एवं अन्य बनाम द्वितीय अपर जिला जज लखनऊ एवं अन्य 2000 (सप्लीमेन्ट्री) आर. डी. 346
2. मोहम्मद अहमद खान बनाम प्रथम अपर जिला जज एवं अन्य 1990 (16) एएलआर 489

निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने उपरोक्त विधि व्यवस्थाओ पर बल देते हुये यह तर्क प्रस्तुत किये कि निगरानीकर्ता/आवेदक वाद में आवश्यक पक्षकार है। वादीगण ने वाद पत्र में वंशवृक्ष गलत बनाया है और फर्जी अपंजीकृत वसीयतनामा के आधार पर विवादित भूमि को श्रीमती रामादेवी का बताते हुये उससे विक्रय विलेख से फर्जी तौर पर बैनामा प्राप्त किया है। श्रीमती रामादेवी के नाम से किया गया इन्द्राज अब निरस्त हो चुका है। विवादित भूमि में निगरानीकर्ता का हित व स्वत्व निहित है बिना आवेदक की उपस्थिति के वाद में प्रभावी निर्णय पारित नही किया जा सकता है। अतः पुनरीक्षण स्वीकार किया जाये।

विपक्षीगण की तरफ से विद्वान अधिवक्ता श्री कुंवर वीरेन्द्र सिंह के द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत करते हुये निम्नलिखित विधि व्यवस्थाओ पर विश्वास प्रकट किया गया–

1. ओम प्रकाश एवं अन्य बनाम डीडीसी एवं अन्य 1986 आरडी 74
2. नफीसुल हसन बनाम तृतीय अपर जिला जज देवरिया एवं अन्य 2013 (118) आरडी 399
3. श्री मंदिर माधव पृथ्वी नाथ एवं अन्य बनाम स्वामी प्रकाशानन्द एवं अन्य 1981 एएलजे 567
4. जयराम एवं अन्य बनाम जिला जज अम्बेडकर नगर एवं अन्य 2017 (3) एआरसी 797
5. विजय प्रकाश चौरसिया एवं अन्य बनाम ओम प्रकाश चौरसिया 2018 (139) आरडी 259

विपक्षीगण की तरफ से विद्वान अधिवक्ता के द्वारा मुख्य रूप से उपर्युक्त सम्मानित विधि व्यवस्थाओ के आधार पर यह कथन प्रस्तुत किया गया कि मूल वाद स्थाई निषेधाज्ञा का वाद है। स्थाई निषेधाज्ञा के वाद में वादी को यह विधिक अधिकार प्राप्त है कि वह चयन कर सके कि किस व्यक्ति के विरूद्ध उसे अनुतोष प्राप्त करना है। आवेदक एक फर्जी व्यक्ति है। आवेदक स्थाई निषेधाज्ञा के वाद में न तो आवश्यक पक्षकार है और ना ही उचित पक्षकार है। वादीगण ने उन व्यक्तियो के विरूद्ध वाद प्रस्तुत किया है जिनके द्वारा वादीगण के कब्जा दखल में हस्ताक्षेप किया गया है। आवेदक के विरूद्ध कोई वाद हेतुक उत्पन्न नही हुआ है। विद्वान अवर न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.01.2018 में कोई विधिक त्रुटि नही है। अतः पुनरीक्षण निरस्त किया जाये।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थना पत्र 54क दिनांक 24.10.2009 को प्रस्तुत किया गया था। इस प्रार्थना पत्र के निस्तारण मे अवर न्यायालय में लगभग 9 वर्ष का समय व्यतीत हुआ है। मूल वाद के आदेश पत्रो के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि पत्रावली प्रत्येक तिथि पर 'वास्ते निस्तारण प्रार्थना पत्र 54क' चलती रही। इसी क्रम में दिनांक 27.11.

2017 को प्रार्थना पत्र 54क दिनांक 12.12.2017 को नियत की गयी। दिनांक 12.12.2017 को आदेश पत्र में प्रार्थना पत्र 54क पर सुनवाई किये जाने का कोई उल्लेख नही किया गया और पत्रावली आपत्ति/रिबुटल हेतु अन्तिम अवसर के साथ दिनांक 22.12.2017 को नियत की गयी। दिनांक 22.12.2017 को विद्वान अवर न्यायालय ने आदेश पत्र में यह अंकित किया है कि ''वाद पुकारा गया। उभय पक्ष उपस्थित है। पत्रावली पेश हुयी। पक्षकारो ने आपसी सहमति से अन्य तिथि की याचना की। पत्रावली वास्ते आपत्ति निस्तरण 97ग व रिबुटल व निस्तारण 54क प्रार्थना पत्र दिनांक 06.01.2018 को पेश हो। नियत तिथि तक आपत्ति व रिबुटल का न्यायहित में एक अवसर दिया जाता है।'' तदोपरान्त दिनांक 06.01.2018 को विद्वान अवर न्यायालय के द्वारा प्रार्थना पत्र 54क निरस्त कर दिया गया। विद्वान अवर न्यायालय की पत्रावली में संलग्न आदेश पत्रो के अवलोकन से किसी भी तिथि पर यह प्रकट नही होता है कि विद्वान अवर न्यायालय के द्वारा आवेदक व वादीगण अथवा प्रतिवादीगण को प्रार्थना पत्र 54क पर सुना गया था। विद्वान अवर न्यायालय के द्वारा आदेश दिनांक 06.01.2018 में यह अंकित किया गया है कि, 'सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।' इस प्रकार विद्वान अवर न्यायालय के द्वारा बिना सुने ही प्रार्थना पत्र 54क पर आदेश पारित किया गया है। यह प्रकिया दूषित है एवं अवैधानिक है।

धारा 115 सि0प्र0सं0 यह प्रावधानित करता है कि यदि न्यायालय अपने में निहित किसी क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर पाने में असफल रही है अथवा ऐसे किसी क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया गया है जो उसमें निहित नही है तो ऐसी परिस्थिति में धारा 115 दंण्ड प्रक्रिया संहिता पुनरीक्षण का अधिकार प्रदान करती है।

विद्वान अवर न्यायालय के द्वारा बिना प्रार्थना पत्र 54क पर सम्यक रूप से सुने हुये आलोच्य आदेश दिनांकित 06.01.2018 पारित किया गया है जो कि ऐसी स्थिति को दर्शित करता है कि न्यायालय अपने में निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर पाने में असफल है और ऐसे क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया है जो उसमें निहित नही है।

उपरोक्त परिस्थितियो मे सर्वप्रथम यह उचित होगा कि पुनरीक्षण को स्वीकार करते हुये विद्वान अवर न्यायालय को यह आदेशित किया जाये कि वह सर्वप्रथम उभय पक्षो को सुनकर 15 दिवस के अन्दर प्रार्थना पत्र 54क पर पुनः आदेश पारित करे।

अतः उपरोक्त विश्लेषण के अधीन पुनरीक्षण स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

सिविल पुनरीक्षण संख्या 02/2018 स्वीकार किया जाता है। विद्वान अवर न्यायालय को इस निदेश के साथ इस निर्णय की प्रति व मूल पत्रावली मय पुनरीक्षण की पत्रावली के प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह प्रार्थना पत्र 54क पर उभय पक्षो को सुनकर पत्रावली प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर प्रार्थना पत्र 54क पर पुनः सम्यक आदेश पारित करें।

दिनांक– 09.01.2020

(एहसानुल्लाह खान)
अपर जिला जज कोर्ट सं0–6
उन्नााव।

आज निर्णय हस्ताक्षरित दिनांकित होकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक– 09.01.2020

(एहसानुल्लाह खान)
अपर जिला जज कोर्ट सं0–6

उन्नाव।